रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112026-277967
CG-DL-E-17112026-277967

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6004] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 16, 2026/कार्तिक 25, 1948
No. 6004] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 16, 2026/KARTIKA 25, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2026

का.आ. 6244(अ).— केंद्र सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 (2025 का 27) की धारा 48 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा महापत्तन के वित्त विभाग के विभागाध्यक्ष या प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) में यथापरिभाषित, द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन किसी ऐसे महापत्तन में देय शुल्क तथा अन्य प्रभार प्राप्त करने और उससे प्राप्त प्राप्तियों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन व्यय करने के लिए प्राधिकृत करती है अर्थात्:-

(1) इस प्राधिकार के तहत एकत्रित प्राप्तियों में से किया जाने वाला व्यय, केन्द्र सरकार द्वारा इस निमित्त दिनांक 11 फरवरी, 2015 के महापत्तन को वर्धित वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित नीतिगत दस्तावेज में यथाविनिर्दिष्ट समय-समय पर संशोधित अथवा भावी नीतियों अथवा अनुदेशों के अनुसार निर्धारित सीमाओं या प्रयोजनों से अधिक नहीं होगा।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन रजिस्ट्रीकृत महापत्तनों के मामले में; इस प्राधिकार के तहत एकत्रित प्राप्तियों में से किया जाने वाला व्यय, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत पत्तन के निदेशक मंडल द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सीमाओं या प्रयोजनों से अधिक नहीं होगा।

2. महापत्तन के वित्त विभाग के विभागाध्यक्ष या प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार नामित अन्य अधिकारी सभी प्राप्तियों और व्यय के रिकॉर्ड रखेगा।

[फा. सं. पीडी-24015/18/2026-पीडी-I/ई-383490]

प्रवीण पी. नायर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2026

S.O. 6244(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 48 of the Indian Ports Act, 2025 (27 of 2025), the Central Government hereby authorises the Head of Department of Finance of a major port or any other officer designated by the Authority (as defined in sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the said Act), to receive the fees and other charges payable under the said Act at such major port and to expend the receipts thereof, subject to the following conditions, namely:-

(1) The expenditure from the receipts collected pursuant to this authorisation shall not exceed the limits or purposes as specified in the Delegation of Enhanced Financial Powers to Major Port Trusts policy document dated the 11th February, 2015, as amended from time to time, or future policies or instructions issued by the Central Government from time to time in this behalf.

(2) For major ports registered under the Companies Act, 2013 (18 of 2013); the expenditure from the receipts collected pursuant to this authorisation shall not exceed the limits or purposes as specified by the board of directors of the port registered as a company under the Companies Act, 2013.

2. The Head of Department of Finance of the major port or any other officer so designated by the Authority shall maintain records of all receipts and expenditure.

[F. No. PD-24015/18/2026-PD-1/E-383490]

PRAVEEN P. NAIR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA